


162

36

पंजीकृत एवं अभिप्राय  
आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर  
खण्डपीठ रीवा, म०प्र०

प्रमाण क्रमांक R.S. 36-116



R.S. 201

16/3/16

- 1- जगमोहन प्रसाद द्विवेदी तनय स्व० कृष्णानन्द द्विवेदी उम्र 44
- लगभग 51 वर्ष पेशा-कृषि,
- 2- दिवाकर प्रसाद तनय स्व० कृष्णानन्द द्विवेदी उम्र 47
- वर्ष, पेशा-शासकीय नौकरी, दोनो निवासी ग्राम दुआरी,
- तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

-----निगरानीकर्तागण

बनाम

श्रीमती गुड़िया कुशवाहा पत्नी श्री रामधनी कुशवाहा उम्र  
लगभग 43 वर्ष पेशा-घरुकार्य व कृषि निवासी ग्राम  
खैरा नईबस्ती तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

-----गैरनिगरानीकर्ता

3-16  
एड  
के  
डी  
डी  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय  
तहसीलदार तहसील हुजूर के  
राजस्व प्रकरण क्रमांक-39/अ-12  
/2012-13 में पारित आदेश  
दिनांक 14-06-2013  
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित  
आधारों पर प्रस्तुत है:-

सूक्ष्म तथ्य

यह कि निगरानीकर्तागण ग्राम दुआरी, तहसील  
हुजूर, जिला रीवा म०प्र० के पुस्तैनी निवासी हैं जहां  
निगरानीकर्तागण की चल व अचल संपत्ति स्थित है, जहां  
निगरानीकर्तागण सपरिवार निवासरत हैं तथा निगरानीकर्ता  
गण के स्वत्व की भूमि खसरा क्रमांक-252 रकवा .....

Handwritten signature

Handwritten signature

16/7/18

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18/07/18 अरा निगरानी  
कर्ता क्र० 2 व 3 का नाम जोड़ा गया।

19/7/18

2- श्री मती मुन्नी द्विवेदी पत्नी स्व. जगमोहन प्रसाद द्विवेदी

3- अमर द्विवेदी पुत्र जगमोहन प्रसाद द्विवेदी दोनों  
मिवासी ग्राम दुआरी तहसील इजूर जिला शेवा (गुज.)

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.S.136-II/16 ..... जिला राय

जगमोहन ठाकुर विरुद्ध गुडिया

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. जगमोहन ठाकुर अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील गुडिया के प्रकरण क्रमांक 29/21-12/12-13 में पारित आदेश दिनांक 14.6.13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर राय के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28.03.19 को कलेक्टर राय के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	